से अधिक किसी भी राज्य के मासिक लेवी कोटे में वृद्धि करना संभव नहीं हुआ है ।

सागरपुर कालोनी, दिल्ली में पानी का जमा हो जाना

1934. **श्री अशोक गहलोत** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंखा रोड़ और रिवाड़ी लाइन के निकट बाहरी दिल्ली में सागरपुर में पानी को निकालने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वर्षा का पानी और घरों का पानी सड़कों पर और गलियों में जमा हो जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन का विचार उसके लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि यह एक अनधिकृत कालोनी है तथा समुचित नाली व्यवस्था उस विषय की नीति के अनुसार कालोनी के नियमित, विकासित होने तथा विकास प्रभारों को नियत हो जाने और लाभ-भोगियों द्वारा प्रभारों के अदा किए जाने के बाद ही संभव है ।

मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को एक समान बनाना

1935. **श्री दिनेश सिंह भूरिया** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को एक समान बनाने की योजना को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानत: कितनी राशि की आवश्यकता है और इस में से केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता के रूप में कितनी राशि दी जाएगी ;

मध्य प्रदेश में स्कूल भवनों की कमी दूर करने के लिए सहायता के रूप में भारत सरकार का कितनी राशि देने का का विचार है ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण राज्य प्रशासन वहां गत कुछ वर्षों से स्कूलों में फर्नीचर तथा चटाइयों के लिए आवश्यक धनराशि नहीं दे पा रही है और उसके लिए राज्य द्वारा कितनी राशि दी जा रही है भारत सरकार द्वारा कितनी राशि दिए जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस०बी० चह्वाण): (क) से (ग). प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना एक कार्यक्रम है जो प्राथमिकत: राज्य क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत आता है ।

हमारी योजना की पद्धति में, राज्य क्षेत्र में प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं और इन प्रस्तावों को, योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल द्वारा जांच की जाती है । कार्यकारी दल की सिफारिशों को राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच विचार-विमर्श के बाद अन्तिम रूप दिया जाता है । यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश की छठी योजना (1980–85) और वार्षिक योजना (1981–82) के मामले में अभी तक पूरी नहीं हुई है । राज्यों को योजनागत योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है । ये विशेष योजनाओं के लिए निर्धारित नहीं हैं ।